

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/771**का 21 जनवरी 2021**

जैविक उत्पादन में आधिकारिक नियंत्रण के ढांचे में दस्तावेजी खातों की जांच के लिए विशिष्ट मानदंड और शर्तें निर्धारित करके यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 और ऑपरेटरों के समूहों के आधिकारिक नियंत्रण

(ईईए प्रासंगिकता के साथ पाठ)

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के संबंध में,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों के लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और 30 मई 2018 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 [\(1\)](#) और विशेष रूप से अनुच्छेद 38 (8) (ए) (i) और (ii) को निरस्त करने के संबंध में,

जबकि:

(1) जैविक उत्पादन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन, तैयारी और वितरण के सभी चरणों में पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित आधिकारिक नियंत्रणों के प्रदर्शन के लिए विशिष्ट मानदंड और शर्तें निर्धारित करना आवश्यक है, और विनियमन (ईयू) 2018/848 का अनुपालन करना आवश्यक है, विशेष रूप से उस विनियमन के अनुच्छेद 38 (3) में संदर्भित जैविक ऑपरेटरों या ऑपरेटरों के समूहों के भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण के संबंध में। प्रभावी होने के लिए, उस भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण में कम से कम एक ट्रेसबिलिटी चेक और दस्तावेजी खातों की जांच के माध्यम से एक मास बैलेंस चेक शामिल होना चाहिए। पता लगाने की क्षमता की जांच का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह द्वारा प्राप्त या भेजे गए उत्पाद ऑर्गेनिक हैं या रूपांतरण। मास बैलेंस चेक का उद्देश्य ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह के इनपुट और आउटपुट के बीच संतुलन निर्धारित करना है और विशेष रूप से, जैविक या इन-रूपांतरण उत्पादों की मात्रा की संभाव्यता। ट्रेसबिलिटी चेक और मास बैलेंस चेक द्वारा कवर किए जाने वाले तत्वों को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(2) आधिकारिक नियंत्रणों के उद्देश्य के लिए, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 36 (1) में निर्धारित ऑपरेटरों के समूह की अवधारणा में ऑपरेटरों की एक विशिष्ट श्रेणी शामिल है जो किसान या ऑपरेटर हैं जो शैवाल या जलीय कृषि जानवरों का उत्पादन करते हैं और जो इसके अलावा प्रसंस्करण, तैयारी या भोजन या फ्रीड के बाजार में रखने में लगे हो सकते हैं। ऑपरेटरों के प्रत्येक समूह को आंतरिक नियंत्रण (आईसीएस) के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी होती है जिसमें नियंत्रण गतिविधियों का एक प्रलेखित सेट होता है। सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, आईसीएस का आकलन करने और ऑपरेटरों के समूह के सदस्यों के जोखिम आधारित नमूने पर पुनः निरीक्षण करने के लिए उचित रूप से योग्य होना चाहिए ताकि समूह के समग्र अनुपालन पर निष्कर्ष निकाला जा सके। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की क्षमता के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करना आवश्यक है या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, एक समूह के साथ-साथ आईसीएस के भीतर ऑपरेटरों की उस विशिष्ट संरचना का आकलन करने के लिए, आईसीएस के

मूल्यांकन के लिए एक सामंजस्यपूर्ण ढांचे के लिए और पुनः निरीक्षण के लिए सदस्यों के नमूने के चयन के लिए।

(3) स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के हित में, यह विनियमन विनियमन (ईयू) 2018/848 के आवेदन की तारीख से लागू होना चाहिए,

इस विनियमन को अपनाया है:

लेख 1

दस्तावेजी खातों की जाँच

1. विनियमन (ईयू) 38/3 के अनुच्छेद 2018 (848) के अनुसार भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण में एक ट्रेसबिलिटी चेक और ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह की सामूहिक संतुलन जांच शामिल होगी, जो दस्तावेजी खातों की जांच के माध्यम से की जाती है।

2. सक्षम प्राधिकारी, या जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय विनियमन (ईयू) 38/6 के अनुच्छेद 2018 (848) में संदर्भित लिखित रिकॉर्ड में प्रलेखित मानक टेम्पलेट के अनुसार ट्रेसबिलिटी और मास बैलेंस चेक करेगा।

3. ट्रेसबिलिटी चेक और मास बैलेंस चेक के उद्देश्य से, उत्पादों का चयन, उत्पादों के समूह और सत्यापन के तहत अवधि जोखिम के आधार पर की जाएगी।

4. ट्रेसबिलिटी चेक स्टॉक और वित्तीय रिकॉर्ड सहित उपयुक्त दस्तावेजों द्वारा उचित कम से कम निम्नलिखित तत्वों को कवर करेगा:

(क) आपूर्तिकर्ता का नाम और पता और, जहां अलग-अलग, मालिक या विक्रेता, या उत्पादों के निर्यातक;

(ख) परेषिती का नाम और पता और, जहां अलग-अलग, उत्पादों के खरीदार या आयातक का;

(ग) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35 (6) के अनुसार आपूर्तिकर्ता का प्रमाण पत्र;

(घ) विनियमन (ईयू) 2.1/2018 के अनुलग्नक III के बिंदु 848 के पहले पैराग्राफ में संदर्भित जानकारी;

(ई) उपयुक्त लॉट पहचान।

5. जहां प्रासंगिक हो, मास बैलेंस चेक स्टॉक और वित्तीय रिकॉर्ड सहित उपयुक्त दस्तावेजों द्वारा उचित कम से कम निम्नलिखित तत्वों को कवर करेगा:

(क) इकाई को वितरित उत्पादों की प्रकृति और मात्रा और, जहां प्रासंगिक हो, खरीदी गई सामग्री और ऐसी सामग्रियों का उपयोग, और, जहां प्रासंगिक हो, उत्पादों की संरचना;

(ख) परिसर में भंडारण में रखे गए उत्पादों की प्रकृति और मात्रा;

(ग) उन उत्पादों की प्रकृति और मात्रा जिन्होंने ऑपरेटर की इकाई या ऑपरेटरों के समूह को परेषिती के परिसर या भंडारण सुविधाओं में छोड़ दिया है;

(घ) उन ऑपरेटरों के मामले में जो उत्पाद (उत्पादों) को भौतिक रूप से संभालने के बिना उत्पाद (ओं) को खरीदते और बेचते हैं, खरीदे और बेचे गए उत्पादों की प्रकृति और मात्रा, और आपूर्तिकर्ताओं, और जहां अलग-अलग, विक्रेता या निर्यातक और खरीदार, और जहां अलग-अलग, खेप;

(ई) पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त, एकत्र या काटे गए उत्पादों की उपज;

(च) चालू वर्ष में प्राप्त, एकत्र या काटे गए उत्पादों की वास्तविक उपज;

(छ) चालू और पिछले वर्ष में प्रबंधित पशुधन के मामले में संख्या और/या वजन;

(ज) उत्पादन, तैयारी और वितरण के किसी भी चरण में उत्पादों की मात्रा में कोई नुकसान, वृद्धि या कमी;
(मैं) ऑर्गेनिक या इन-कन्वर्जन उत्पाद जो गैर-ऑर्गेनिक के रूप में बाज़ार में बेचे जाते हैं।

लेख 2

ऑपरेटरों के समूहों का आधिकारिक नियंत्रण

1. ऑपरेटरों के एक समूह के अनुपालन को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, आंतरिक नियंत्रण (आईसीएस) के लिए सिस्टम का आकलन करने के लिए सक्षम निरीक्षकों को असाइन करेगा।

2. ऑपरेटरों के एक समूह के आईसीएस के सेट-अप, कामकाज और रखरखाव के मूल्यांकन के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, कम से कम यह निर्धारित करेगा:

(क) आईसीएस की प्रलेखित प्रक्रियाएं जिन्हें विनियमन (ईयू) 2018/848 में स्थापित आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है;

(ख) प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक जानकारी के साथ ऑपरेटरों के समूह के सदस्यों की सूची लगातार अद्यतन की जाती है और प्रमाण पत्र के दायरे के साथ संरेखित होती है;

(ग) ऑपरेटरों के समूह के सभी सदस्य ऑपरेटरों के समूह में उनकी भागीदारी के दौरान विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 36 (1) (ए), (बी) और (ई) में निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं;

(घ) आईसीएस निरीक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण और क्षमता आनुपातिक और पर्याप्त है और आईसीएस निरीक्षक हितों के टकराव के बिना हैं;

(ई) ऑपरेटरों के समूह के सभी सदस्यों और उनकी गतिविधियों और उत्पादन इकाइयों या परिसर की खरीद और संग्रह केंद्रों सहित आंतरिक निरीक्षण कम से कम वार्षिक रूप से किए गए हैं और प्रलेखित हैं;

(च) नए सदस्यों या नई उत्पादन इकाइयों और मौजूदा सदस्यों की नई गतिविधियों, जिनमें नई खरीद और संग्रह केंद्र शामिल हैं, को आईसीएस प्रलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आईसीएस प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही स्वीकार किया गया है;

(छ) ICS प्रबंधक गैर-अनुपालन के मामले में उचित उपाय करता है, जिसमें उनका अनुवर्ती कार्रवाई भी शामिल है, ICS प्रलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार जो लागू किए गए हैं;

(ज) सक्षम प्राधिकारी को आईसीएस प्रबंधक की सूचनाएं या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, उपयुक्त और पर्याप्त हैं;

(मैं) सभी उत्पादों और ऑपरेटरों के समूह के सदस्यों के लिए आंतरिक पता लगाने की क्षमता मात्रा का अनुमान लगाकर और ऑपरेटरों के समूह के प्रत्येक सदस्य की पैदावार को क्रॉस-चेक करके सुनिश्चित की जाती है;

(ज) ऑपरेटरों के समूह के सदस्यों को आईसीएस प्रक्रियाओं और विनियमन (ईयू) 2018/848 की आवश्यकताओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

3. सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38 (4) (डी) के अनुसार पुनः निरीक्षण के लिए ऑपरेटरों के समूह के सदस्यों के नमूने का चयन करने के लिए जोखिम मूल्यांकन लागू करेगा। ऐसा करने में, यह कम से कम मात्रा और

उत्पादन के मूल्य और विनियमन (ईयू) 2018/848 के प्रावधानों के अनुपालन की संभावना के आकलन को ध्यान में रखेगा। चयनित सदस्यों की उपस्थिति के साथ मौके पर ही पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

4. सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, ऑपरेटरों के समूह के प्रकार, संरचना, आकार, उत्पादों, गतिविधियों और जैविक उत्पादन के उत्पादन के अनुपात में ऑपरेटरों के समूह के नियंत्रण के लिए उचित समय आवंटित करेगा।

5. सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, आईसीएस निरीक्षकों की क्षमता और ज्ञान को सत्यापित करने के लिए गवाह ऑडिट करेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, यह आकलन करेगा कि क्या आईसीएस निरीक्षकों द्वारा अनिर्धारित गैर-अनुपालन की संख्या और कारण की जांच के परिणाम और गैर-अनुपालन की प्रकृति के आधार पर आईसीएस की विफलता है।

लेख 3

बल और आवेदन में प्रवेश

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के बाद बीसवें दिन लागू होगा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन अपनी संपूर्णता में बाध्यकारी होगा और सभी सदस्य राज्यों में सीधे लागू होगा।

ब्रसेल्स में किया गया, 21 जनवरी 2021।

आयोग के लिए

राष्ट्रपति

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

[1] [ओजे एल 150, 14.6.2018, पी।](#)